अनुदान संख्या 90 – संस्कृति विभाग
GRANT No. 90–DEPARTMENT OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	543,72,00		550,46,00	537,97,06	–12,48,94
पूरक	Supplementary	6,74,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					5,19,24
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
पूरक	Supplementary	18,10,00		18,10,00	15,36,36	–2,73,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (1248.94 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 674.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1248.94 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.674.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2205" कला और संस्कृति	Major Head "2205" Art and Culture				
मू.	O.	50468.00			
पू.	S.	674.00	52844.99	52183.62	–661.37
पु.	R.	1702.99			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2200.00	..	..	..
पु.	R.	–2200.00			

(I) 2245.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.2245.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.2200.00 lakhs alone was under Major Head "2552" - "Other Expenditure –Lumpsum provision for projects/schemes of North Eastern Areas and Sikkim"- due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/ schemes for North Eastern Areas and Sikkim from concerned functional heads.

(II) मुख्य शीर्ष ''2205'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(II) Under Major Head "2205"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''सार्वजनिक पुस्तकालय - राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता''- 210.04 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भाषा भवन के उद्घाटन को आस्थगित किए जाने और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Public Library - National Library, Kolkata"- saving of Rs.210.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to postponement of inauguration of Bhasha Bhawan and non-holding of National Seminar.

(खा) ''पुरातत्व सर्वेक्षण - निदेशालय''- 794.01 लाख रु. की बचत (9318.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम संख्या में विदेश दौरे किए जाने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 87 परिमंडलों/शाखाओं/फील्ड कार्यालयों से संबंधित विभिन्न दावों जैसे चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत इत्यादि को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व विश्व दाय स्मारकों पर 3 संदर्शिका पुस्तकों का मुद्रण कार्य पूरा न होने के कारण हुई।

(B) "Archaeological Survey - Directorate"- saving of Rs.794.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9318.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less number of foreign tours, non-finalisation of various claims like medical , leave travel concession etc. in respect of 87 circles/branches/field offices of Archaeological Survey of India and non-completion of printing work of 3 guide books on World Heritage Monuments before the close of the financial year.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 132.80 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत और 27 प्रतिशत थी।

(III) Under two heads savings of Rs.132.80 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 14 percent and 27 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2065.96 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि 674.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष ''2205'' के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.2065.96 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.674.00 lakhs and vide Annexure II to the Supplementary Demands for Grants under Major Head "2205" - under the following heads:-

(का) ''कला और संस्कृति का संवर्धन''-

(A) "Promotion of Arts and Culture"-

(क) ''अन्य सांस्कृतिक संस्थानों को अनुदान''- 471.88 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 470.98 लाख रु. था।

(a) "Grants to other Cultural Institutions"- Rs.471.88 lakhs. Actual excess, however, was Rs.470.98 lakhs.

(ख) ''अन्य स्कीमें''- 507.07 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 396.33 लाख रु. था।

(b) "Other Schemes"- Rs.507.07 lakhs. Actual excess, however was Rs.396.33 lakhs.

(खा) ''पुरातत्व सर्वेक्षण - प्राचीन स्मारकों का संरक्षण''- 412.30 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 360.65 लाख रु. था।

(B) "Archeological Survey - Conservation of Ancient Monuments"- Rs.412.30 lakhs. Actual excess, however, was Rs.360.65 lakhs.

(गा) ''संग्रहालय''-

(C) "Museums" -

(क) ''संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण''- 549.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 541.24 लाख रु. था।

(a) "Promotion and Strengthening of Museums"- Rs.549.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.541.24 lakhs.

(ख) ''राष्ट्रीय संग्रहालय''- 125.71 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 111.94 लाख रु. था।

(b) "National Museum"- Rs.125.71 lakhs. Actual excess, however, was Rs.111.94 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2205'' - ''संग्रहालय'' के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2205" - "Museums" - under the following heads:-

(का) ''भारतीय संग्रहालय, कोलकाता''- 119.50 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Indian Museum, Kolkata"- excess of Rs.119.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs); and

(खा) ''राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता''- 198.17 लाख रु. का अधिक व्यय (1950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "National Council of Science Museums, Kolkata"- excess of Rs.198.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1950.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of more funds for the projects in North Eastern Areas.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (273.64 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 1810.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत थीं।

3. In capital section of the grant, the overall savings (Rs.273.64 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grant of Rs.1810.00 lakhs obtained in December, 2003.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
पू.	S.	1810.00	1810.00	1536.36		–273.64

(I) पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं 150.00 लाख रु. की निधियां "कला एवं संस्कृति - मानवविज्ञान सर्वेक्षण - भवन" के अंतर्गत एक मामले में जनवरी, 2004 के मध्य में शहरी विकास मंत्रालय से संस्कृति विभाग को निधियां अंतरित किए जाने तथा समय के अभाव की वजह से वर्ष के दौरान भवन परियोजना के संबंध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को क्रियाशील बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई न किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहीं।

(I) Funds of Rs.150.00 lakhs provided by obtaining supplementary grant remained wholly unutilised in one case under "Art and Culture - Anthropological Survey - Buildings" - due to transfer of funds from the Ministry of Urban Development to Department of Culture in the middle of January, 2004 and necessary action to activate the Central Public Works Department in respect of Building Project could not be taken during the year owing to shortage of time.

(II) "कला तथा संस्कृति - अभिलेखागार - भवन" के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करके 100.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के एनेक्सी भवन के सेवा ब्लाक संबंधी परियोजना के निर्माण के लिए नक्शों के पुनर्वैधीकरण के पूरा न होने के कारण 97.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under "Art and Culture - Archives - Buildings" - funds of Rs.100.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.97.07 lakhs - due to non-completion of revalidation of the drawings for Construction Project of Service Block of Annexe Building of National Archives of India.